



2026:AHC:67631

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत सं - 11573 वर्ष 2026

रवेन्द्र और 7 अन्य आवेदक

बनाम

सचिव (गृह) उत्तर प्रदेश, लखनऊ और अन्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: धीरेन्द्र कुमार, कल्याण सिंह, पवन कुमार विश्वकर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, कर्मा सिंह यादव, सत्यपाल सिंह

न्यायालय सं - 78

माननीय न्यायमूर्ति श्री नंद प्रभा शुक्ला

1. सुश्री ज्योति सिंह, अधिवक्ता श्री पवन कुमार विश्वकर्मा, आवेदकों के अधिवक्ता, श्री कर्मा सिंह, राज्य के लिए प्रतिपक्षी संख्या-2, अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. धारा 528 बी के तहत प्रस्तुत आवेदन। इस आवेदन की अनुमति देने के लिए और धारा 323, 504 भूदण्ड वि० धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम 1961 के तहत अपराध संख्या-201 वर्ष 2017 से उत्पन्न होने वाले अपराध संख्या-5441 वर्ष 2018 (राज्य बनाम रवींद्र और अन्य) के दिनांक 01.06.2018 के समन आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसमें धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम 1961, थाना-उधैती, जिला बदायूं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं के समक्ष दिनांक 11.04.2025 के सत्यापन के आधार पर लंबित है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों और प्रतिपक्षी संख्या-2 ने समझौते के माध्यम से विवाद का निपटारा किया है, जिसे 11.04.2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट, बदायूं द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदकों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकों और प्रतिपक्षी संख्या-2 के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न होता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि पक्षों ने स्वेच्छा से एक समझौता किया है और दबाव या धमकी या जबरदस्ती के तहत नहीं और संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं और इसलिए, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और वे जवाबी हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

5. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने आवेदकों के अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार किया और कहा कि यदि आवेदकों के खिलाफ लंबित कार्यवाही को **रद्द/अपास्त** किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतियों की गुण दोष पर विवाद नहीं करता है।

7. पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को रद्द करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है।

8. **बीएस जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003) 4 एस.सी.सी. 675** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, यह माना गया है कि "उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (द०प्र०स०) की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में जहां पक्षगण के बीच एक वास्तविक समझौता हो गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 320 द०प्र०स०, जो शमनीय अपराधों को सूचीबद्ध करती है, इस शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है, और इसका प्रयोग सौहार्दपूर्ण निपटान को बढ़ावा देने और न्याय के उद्देश्यों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही अपराध अन्यथा गैर-शमनीय हों।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303** में अपने संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा है कि "लेकिन आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और पूर्व-वयस्क रूप से नागरिक स्वाद होते हैं, वे रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग स्तर पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय,



व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध, आदि या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षकारों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौता के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641 में अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के व्यापक सिद्धांत इस आधार पर निर्धारित किए हैं कि "यहां तक कि समझौते के आधार पर गैर-शमनीय मामलों में भी, आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है ताकि अदालत के मूल्यवान समय को बचाया जा सके और अन्य भौतिक मामलों में उपयोग किया जा सके।

11. पक्षगण ने संबंधित न्यायालय में उनके बीच लंबित कार्यवाही को वापस लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। अभिलेखों और कानून के अवलोकन से, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, प्रस्तुत मामला न्यायालय द्वारा समन आदेश के साथ-साथ पूरी कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक अच्छा मामला है।

12 विवाद विशुद्ध रूप से एक वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है जो पक्षों के बीच उनकी पूरी संतुष्टि के लिए पारस्परिक रूप से सुलझाया गया है, इसलिए, अभियोजन पक्ष को अब और जारी रखने की अनुमति देने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

13. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत दायर खारिज करने के लिए प्रस्तुत आवेदन प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या-3831 वर्ष 2025, एसएलपी (क्रिल०) संख्या-11642 वर्ष 2019 दिनांक 02.09.2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर आता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. दिनांक 11.4.2025 के समझौता सत्यापन के संदर्भ में, अपराध संख्या-201 वर्ष 2017 से उत्पन्न होने वाली धारा 323, 504 भ०द०वि० धारा 3/4 डीपी अधिनियम, थाना-उधैती, जिला बदायूं के समक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं के समक्ष लंबित मामला संख्या-5441 वर्ष 2018 (राज्य बनाम रवींद्र और अन्य) की कार्यवाही एतद्वारा रद्द की जाती है।

16. तदनुसार, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

मार्च 31, 2026

पुष्पेंद्र

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)